भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का विनियमन - आलोचनात्मक समीक्षा

जनमेजय खुंटिया[1] • शीबा सी पांडा[2]
[1]School of Open learning (SOL), University of Delhi
[2]Satyawati College (Eve.), University of Delhi
Email: janmejoykhuntia@gmail.com

सार

वर्ष 1962 मेंदिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू, छात्रों के नामांकन, उच्च शिक्षा में डिग्रियों का वितरण, प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों के संयोजन में नवीनीकरण और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंगीकरण आदि के संदर्भ में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की यात्रा असाधारण रही है। प्रारंभ में, दूरस्थ विधा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों का तेज़ी से विकास हुआ था,जो ज्यादातर व्यावसायिक और रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों में नामांकन के माध्यम से राजस्व सृजन के उद्देश्य से उत्प्रेरित था। हालाँकि, इस परिमाणात्मक विकास के कारण होने वाली शैक्षिक सेवा की गुणवत्ता में पतन ने सरकार को मुक्त शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए मजबूर किया। शिक्षा की मुक्त प्रणाली को विनियमित करने की प्रक्रिया आधुनिक और नई प्रक्रिया है और इसका मूल्यांकन करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। लेकिन इस बीच, यह देखना महत्वपूर्ण है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित विनियम व्यावहारिक और कार्यान्वयन योग्य हैं। विनियमों की जांच करना और यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि ये ठीक से तैयार किए गए हैं या नहीं।

मुख्यशब्द: मुक्तऔरदूरस्थशिक्षा, नामांकन, विनियमन, उच्चशिक्षा

परिचय

भारतमेंदूरस्थ शिक्षा 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा (एससीसी एवं सीई) विश्वविद्यालय नामक प्रायोगिक परियोजना केसाथआरंभहुई। यह जनसंख्या के उस बड़े भाग को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यकता थी जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर, भारत जैसे गरीब देश को, जिसनेकुछ साल पहले ही स्वतंत्रता प्राप्त की थी, कोस्थूल नामांकन दर (जी.ई.आर.), जिसकीगणनाउच्चशिक्षामें 18-23 वर्षआयुवर्गकेनामांकनदरकेरूपमेंकीजातीहै, को बढ़ाने के लिए अपने अल्प संसाधनों को आवंटित

करने के लिए दूरस्थ शिक्षा के रूप में तरीके और साधन खोजने थे। इस योजना ने अच्छा कार्य किया। इस अभिनव प्रयास में उच्च माध्यमिक स्तर को पूरा करने के बाद लगभग एक हजार छात्रों ने प्रवेश लिया। 38 साल बाद जब नई सहस्राब्दी आरंभ हुई, भारत में 79 संस्थान थे, जिनमें से 9 एकल विधा मुक्त विश्वविद्यालय थे और अन्य 70 संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय सहित द्वि-विधा विश्वविद्यालयों का भाग थे। वर्ष 2010 तक 14 एकल विधा मुक्त यूनिवर्सिटी सहित कुल 256 संस्थान थे जो मुक्त और दूरस्थ विधा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे हैं। यहवृद्धिअसाधारणरहीहै। लेकिन इस वृद्धि से भी अधिक छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण रही है। 1962 में एक हजार छात्रों की संख्या से, बढ़करआंकड़ा 2010 में 1.6 करोड़ हो गया, भारतमेंउच्च शिक्षा में कुल नामांकन का 12.1 प्रतिशत होने के साथ पांच दशकों में 150 गुणावृद्धि हुई। जैसी अपेक्षित था, जी.ई.आर.मेंभी वृद्धि हुई। वर्ष 2010 में भारत के जी.ई.आर.में दूरस्थ शिक्षा की हिस्सेदारी 23.35 थी, जिसके कारण 2000 में जी.ई.आर.का अखिल भारतीय औसत बढ़कर 19.4 प्रतिशत हो गया। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के बारे में सबसे प्रोत्साहक बात यह है कि यह प्रकृति में समावेशी है। इस क्षेत्र में नामांकन में वृद्धि ज्यादातर योगदान महिलाओं, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या और दुर्गम क्षेत्रों में वास करने वाले व्यक्तियों की भागीदारी द्वारा किया गया था। इसलिए, इन सभी दृष्टिकोणों से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की शुरूआत काफी फलदायी रही है।

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में विनियमों की आवश्यकता

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की वृद्धि न केवल बड़ी संख्या में गरीबों और अन्य छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण हुई थी, बल्कियह बिनाकिसीकठिनाईके ऐसे संस्थानों द्वारा प्रस्तुत नए और अत्यधिक जरूरत वाले पाठ्यक्रमों के कारण भी था। उदाहरण के लिए, व्यवसाय प्रशासन, बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) आदि जैसे पाठ्यक्रम रोजगार परक घटक के कारण अत्यधिक जरूरत वाले होते हैं। नियमित विधा में ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश उच्च योग्यता वाले अंक/ग्रेड, प्रवेश परीक्षा और उच्च प्रवेश शुल्क जैसे सख्त मानदंडों के कारण बहुत कठिन था। लेकिन मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के तहत समान मानदंडों में छूट दी गई थी, जिन्हें नियमित रूप से अपने समकक्ष के विपरीत ऐसे पाठ्यक्रमों की प्रस्तुत करने के लिए अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए यह जीत की स्थिति थी क्योंकि वे मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष दोनों से लाभान्वित हुए थे। मांग पक्ष पर बड़ी संख्या में छात्रों ने कम शुल्क संरचना के कारण पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया और आपूर्ति पक्ष पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान, कम लागत के कारण पाठ्यक्रम प्रदान करसके। छात्रों की संख्या में हुई वृद्धि ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के राजस्व में वृद्धि की जिसने दीर्घकाल तक उनकी उत्तर जीवितता और अस्तित्व की गारंटी प्रदान की।

हालांकि, एक आशंका थी जो सच हो गई। शिक्षा गुणवत्ता के बारे में है। केवल नामांकन गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करता है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों, प्रभावी निगरानी और इनके प्रशासन में अध्ययन सामग्री के वितरण, परीक्षाओं के संचालन में पारदर्शिता, छात्रों का सही मूल्यांकन, सीखने की प्रगति की प्रभावी निगरानी, अयोग्य छात्रों द्वाराली गई डिग्री की खरीद के संदर्भ में, अराजकता और भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। वर्षों से इस तरह की समस्याओं के इकट्ठा होने के कारण डिग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं करने के उपाय के रूप में कुछ पाठ्यक्रमों की मान्यता बंद करने या वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। उदाहरण के लिए, बी.टेक., बी.एड. आदि जैसे पाठ्यक्रम कई मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे पाठ्यक्रमोंसेहटाएगए, क्योंकि उन्हें गुणवत्ता आश्वासन के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता थी जिनका कई मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों में अभाव था। यह कहना अनावयश्क है, किसभी के हित में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों की निगरानी और नियंत्रण के लिए नियमों को लाने के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे।

भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए नियामक

भले ही, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का पहला संस्थान, अर्थात्, एससीसी एवं सीई की स्थापना 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत की गई थी और 1982 में पहला मुक्त विश्वविद्यालय, अर्थात्, डॉ. बीआर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद में स्थापित किया गया था, 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना के साथ दूरस्थ शिक्षा परिषद् (डी ई सी) के नाम पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के लिए पहला नियामक निकाय का निर्माण किया गया था। भारत सरकार द्वारा जारी मार्च 1995 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, डीईसी की भूमिका संस्थागत मान्यता देने के साथ-साथ उन कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान करना थी जो सभी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए अनिवार्य थे। इस उद्देश्य के लिए, डीईसी ने दिशानिर्देश विकसित किए थे, जो प्रणाली में गुणवत्ता और सर्वोत्तम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संशोधन के अधीन थे।

मई 2007 में संयुक्त समिति ने यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से गठित किया, जिसे "मान्यता की पुस्तिका" के रूप में दिशानिर्देश विकसित किया गया। 2009 के प्रभाव से, डीईसीने कार्यक्रम-वार मान्यता देना आरंभ किया। संचालन के तीन साल बाद, संयुक्त समिति को एक त्रिपक्षीय समिति द्वारा बदल दिया गया, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और डीईसी के अध्यक्ष शामिल थे, वर्ष 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा गठित किया गया था। हालांकि, वर्ष 2012 में, एमएचआरडीने इस आशय की अधिसूचना जारी की कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मानदंडों और मानकों के

रखरखाव के लिए विनियम जारी करके मुक्त और दूरस्थ शिक्षाकार्यक्रमों के संबंध में नियामक के रूप में कार्य करेगा। तदनुसार, विश्वविद्यालयों/संस्थानों को ऐसे कार्यक्रमों के संचालन के लिए यूजीसी से मान्यता/अनुमति लेनी होगी। इस विकास के आधार पर दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (डीईबी) को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने के लिए विशेष निकाय के रूप में यूजीसीके अंतर्गत निर्मित किया गया था। डीईबीकी शैली को मई 2013 में त्रिपक्षीय समिति ने समाप्त कर दिया था।

डीईबी, यूजीसी द्वारा जारी मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियमन 2017

2017 से पूर्व, डीईबीसहित नियामकों के कार्यपद्धति- ज्यादातर मुक्त और दूरस्थ विधा में संचालित कार्यक्रमों और संस्थानों को मान्यता देने तक ही सीमित था। कुछ निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए गए और उनका उपचार/मूल्यांकन किया गया।हालांकि, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के लिए दिशानिर्देशों पर संकलनकर्ता और अधिक व्यापक दस्तावेज यूजीसी द्वारा 23 जून 2017 को "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षा) विनियमन, 2017 के नाम से अधिसूचित किया गया था। इन विनियमनों के छह प्रमुख आयाम निम्नलिखित हैं:

1. मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान की मान्यता
2. उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अवसंरचनात्मक, शैक्षणिक और अन्य गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण
3. प्रवेश, परीक्षा और शिक्षार्थी समर्थन
4. मूल्य निर्धारण, प्रत्यायन, लेखा परीक्षा, निरीक्षण और निगरानी
5. विविध

आइए, एक-एक करके इन बिंदुओं पर चर्चा करें।

- **मान्यता के लिए मानदंड**

कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान जो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर रहा है, उसे निम्न मानदंडों को पूरा करके यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो सकती है:

- सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित, अध्ययन के कार्यक्रमों के लिए आवश्यक स्व-शिक्षण सामग्री तैयार की जानी चाहिए,
- अध्ययन के सभी प्रस्तावित कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण और छात्रों के अपेक्षित नामांकन के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता के प्रमाण पर्याप्त होने चाहिए,

- शिक्षार्थी समर्थन केंद्र (एलएससी) की स्थापना, शिक्षार्थी समर्थन सेवा प्रदान करने, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन केंद्र स्थापित करने, ईकाई और शिक्षार्थी समर्थन केंद्र में शैक्षणिक और अन्य स्टाफ की उपलब्धता और शिक्षार्थी समर्थन केंद्रों में योग्य काउंसलर की उपलब्धता के लिए तैयारियों के प्रमाण होने चाहिए,
- मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी वितरण के लिए सहायक सेवाओं के लिए प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए,
- राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद् (एनएएसी) से मान्य मान्यता होनी चाहिए और पांच साल का अस्तित्व पूरा कर लिया है

उपरोक्त का पालन न करने पर संबंधित संस्थान को इस प्रावधान के साथ मान्यता प्राप्त हो जाएगी कि उक्त संस्थान को निर्धारित समय अवधि के अंतर्गत अपील करने का मौका दिया जाएगा।

- **गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण**

मुक्त और दूरस्थ शिक्षासंस्थान को गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए जिसके लिए परिस्थितियाँ निम्न हैं:

- प्रणाली प्रबंधन: संरचना और प्रक्रियाएं: संस्थान को प्रोफ़ेसर के पद से नीचे न होकर एक नियमित अधिकारी की अध्यक्षता में होना चाहिए और आयोग और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के विनियमों और दिशानिर्देशों के पालन द्वारा शिक्षार्थी सहायता केंद्रों पर कार्यक्रम सहित उपयुक्त और पर्याप्त शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासनिक कर्मचारी और बुनियादी ढांचा संसाधन की योजना, कार्यान्वयन, समन्वय और निगरानी और संचालन का गुणवत्ता आश्वासन के लिए होगा।
- प्रकटन, घोषणा और रिपोर्ट के माध्यम से स्व-नियमन: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को स्वयं की मान्यता, कार्यक्रमों और पाठ्यक्रम, प्रवेश और परीक्षा, एलएससी और परीक्षा केंद्रों की सूची, अध्ययन सामग्री का वितरण, नए कार्यक्रमों का शुभारंभ, प्रदर्शन मूल्यांकन, वार्षिक रिपोर्ट, छात्र समर्थन सेवा आदि के संबंध में जानकारी और प्रासंगिक दस्तावेज अपलोड करने चाहिए।
- गुणवत्ता आश्वासन: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को छात्रों के कार्य आदि के संबंध में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और कौशल-संवर्धन कार्यक्रमों का संचालन करके, मानक स्व-शिक्षण सामग्री बनाने के साथ-साथ ऑडियो वीडियो सामग्री भी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करके, छात्रों की प्रतिक्रिया प्रणाली और शिकायत निवारण तंत्र का निर्माण करके, एलएससी में अग्रिम कार्यक्रम बनाना चाहिए।

- शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारी: योग्य शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शिक्षक और अकादमिक कर्मचारी अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए अभिनय कर रहे हैं।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: प्रौद्योगिकी के बिना, अब मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानविधा कुछ नहीं है। इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मुक्त शैक्षिक संसाधन का प्रभावी उपयोग होना है।
- कार्यक्रम का शुभारंभ प्रक्रिया और अनुमोदन: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को कार्यक्रम के बारे में पहले ही ब्यौरा देना होगा जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्य, संदर्भित करने के लिए सामग्री की सूची, शिक्षकों की सूची, पाठ्यक्रम शुल्क और अवधि, पुस्तकालय और अन्य संसाधन आदि शामिल होने चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम को उचित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और डिग्री की मान्यता दी गई है।

- **प्रवेश, परीक्षा और शिक्षार्थी समर्थन**: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जरूरतमंदों को छूट के प्रावधान के साथ उसकी शुल्क संरचना सस्ती हो। अन्य प्रवेश परिणामों के साथ शुल्क संरचना को अग्रिम में वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरण-पत्रिका के माध्यम से बताया जाना चाहिए। इसी तरह, एलएससी की परीक्षा और प्रमाणन और विवरण के साथ प्रदान की जाने वाली सेवाओं को प्रवेश लेने से पहले देना चाहिए।
- **मूल्य निर्धारण, प्रत्यायन, लेखा परीक्षा, निरीक्षण और निगरानी**: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को समय-समय पर एनएएसीद्वारा मूल्यांकन और मान्यता के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि जनहित में उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। आंतरिक परिणामों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रत्येक मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष (आईक्यूएसी) की स्थापना की आवश्यकता है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान के खातों का लेखा-जोखा होना चाहिए, जो वितरण में वित्तीय पारदर्शिता सिध्द करने के लिए आवश्यक हो।
- **विविध**: यूजीसी संघर्ष के मामले में इन नियमों के किसी भी खंड की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार होने का अधिकार रखता है।

आलोचनात्मक अवलोकन

मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संबंधी 2017 विनियमों के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्र स्तरीय प्राधिकरण यू.जी.सी. ने इसे जारी किया है और एक राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित करके इसे अनिवार्य बनाया है। यह कार्य लंबे समय से विलंबित था। इन विनियमों को अच्छी तरह से तैयार किया गया है और इनमें ओ.डी.एल. के अधिकांश पहलुओं का उल्लेख किया गया है। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण आयामों जैसे की सरकार द्वारा मान्यता जारी करना, अवसंरचना के माध्यम से दी गई सभी प्रकार की सेवाओं में गुणवत्ता का आश्वासन, प्रवेश और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्ष शिक्षार्थी समर्थन प्रणाली, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आकलन और प्रत्यायन का समुचित ढंग से प्रलेखन किया गया है।

हालांकि, मुख्य समस्या, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा अक्षरशः यथार्थ अनुपालन के बारे में है। सर्वप्रथम एल.एस.सी. का मामला लेते हैं। यह एक स्वीकृत तथ्य है और यू.जी.सी. के संज्ञान में भी है कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान, एल.एस.सी., जो इस प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग सिद्ध होता है, के सृजन के लिए अन्य अभिकरणों पर निर्भर हैं। एल.एस.सी. की स्थापना के लिए एक भौतिक अवसंरचना आवश्यक है जैसे कि पुस्तकालय, कक्षाओं और मनोरंजन की सुविधाओं से युक्त एक स्कूल या कॉलेज भवन। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली इस तथ्य पर आधारित होती है कि शैक्षिक सुविधाएं, छात्रों को नियमित रूप से शिक्षण और अध्ययन कक्षाओं में उपस्थित रहने के लिए कहे बिना प्रदान की जाएंगी और उन्हें अपनी गति से कम लागत पर सीखने दिया जाए। हालांकि, एल.एस.सी. में छात्रों और अध्यापकों के बीच अस्थायी तौर पर विचार-विमर्श करने का प्रावधान किया जाएगा जिसे अन्य संस्थानों से केवल अवकाश के दिनों में किराये पर लिया जा सकता है क्योंकि वे भवन कार्य-दिवसों पर खाली नहीं होते हैं। इस प्रकार, यह नियमित रीति से शिक्षण की प्रक्रिया की तुलना में एक बड़ा समझौता है। इसके अलावा, पुस्तकालय आदि जैसी अन्य सुविधाएं छात्रों के लिए उपलब्ध हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि यह किसी स्कूल या कॉलेज विशेष के भवन के मालिक/शासी बोर्ड और मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान के बीच किए गए समझौते के प्रकार पर निर्भर करता है। यह पाया गया है की कई स्कूल और कॉलेज भवन, अवकाश के दिनों में एल.एस.सी. बनाए जाने के लिए उपलब्ध रहते हैं लेकिन उनकी संपत्ति का नुकसान होने के डर से मुक्त शिक्षा-प्रणाली के छात्रों को उनमें पुस्तकालय जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। यहाँ तक की यदि कोई स्कूल भवन एल.एस.सी. के तौर पर उपलब्ध होता है तो भी इसके पुस्तकालय संसाधनों का उच्चतर शिक्षा प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए,

स्कूलों में अपने एल.एस.सी. चलाने वाले अधिकांश मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान, वर्ष 2017 के विनियमों की अनेक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर सकते।

दूसरे, इन विनियमों में छात्रों को गुणवत्ता शिक्षण और परामर्श देने के लिये मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा योग्य शिक्षकों और परामर्शियों की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है। तथापि, यदि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान राजस्व सृजन भी करें तो भी शिक्षकों को संस्तुत वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त बजट की कमी रहती है। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों या परामर्शों की दरें कम हैं, जिस कारण मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को दक्ष शिक्षकों को पारिश्रमिक पर रखने में कठिनाई आती है। केवल अवकाश के दिनों में नियुक्ति के कारण मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान में शिक्षण कार्य की नियमितता की कमी, यात्रा की लागत आदि के कारण अच्छे शिक्षकों की उपलब्धता की समस्या में इजाफा होता है। इसलिए, विनियमों के अनुसार शिक्षण संबंधी अनुपालन करना संभव नहीं हो सकता।

तीसरे, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नियम पूछे जाते हैं। प्रौद्योगिकी अच्छा नेटवर्क है और इसलिए जब प्रदाता और उपयोगकर्ता उन्हें एक साथ उपभोग करते हैं तो प्रभावी रूप से लाभ होगा। भले ही प्रौद्योगिकी का उपयोग उत्तम विचार है, लेकिन भारत में विकास के इस स्तर पर यह व्यावहारिक नहीं लगता है। यह सभी जानते हैं कि देश का हर गाँव बिजली की आपूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक घरों तक इंटरनेट सेवा पहुँचना अभी बाकी है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए दीर्घकाल समस्या अभी भी सुलझी नहीं है। जब गरीब लोग अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, तो प्रौद्योगिकी के उपयोग का सवाल अनुचित और अजीब लगता है।

चौथे, द्वि विधा विश्वविद्यालयों में जहां नियमित और मुक्त और दूरस्थ विधा दोनों एक साथ चलते हैं, यह उत्तरार्द्ध है जो पूंजी के आवंटन, शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने की अनुमति, मुक्त छात्रों के परिणामों की समय पर घोषणा आदि के मामले में भेदभाव का सामना करता है। विश्वविद्यालय के अंतर्गत, कई मामलों में नियमित और मुक्त विधा के बीच छात्रों के प्रवास की अनुमति नहीं है। मुक्त छात्रों को द्वि विश्वविद्यालय प्रणाली में बलपूर्वक प्रतिकूल परिस्थिति समूह बना दिया जाता है।

पांचवे, जबकि गुणवत्ता आश्वासन के लिए विनियमन आवश्यक हैं, नियामक स्वयं, इस मामले में यूजीसी गरिमा के साथ बढ़ने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों को सक्रिय रूप से सलाह देने की जिम्मेदारी से बचता नहीं है। यह नियमों में दिए गए अनुसार सही अर्थों में एलएससीस्थापित करने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षासंस्थान और अन्य नियमित संस्थान के बीच प्रत्याभूतिदाता के रूप में खड़े होने के लिए एजेंसियों का निर्माण करना चाहिए। संपर्क

कक्षाएं लेने वाले शिक्षकों को अच्छी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए। अभ्यास में मुक्त और दूरस्थ छात्रों को नियमित छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यूजीसी को दूरस्थ शिक्षा और इसकी डिग्री के मूल्य के प्रति समाज के विचार को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। तभी नियमों का क्रियान्वयन सार्थक होगा।

निष्कर्ष

भारत के राजपत्र में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा विनियमन 2017 को अधिसूचित करके, यूजीसी ने देश में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया है। विनियमन यूजीसी को भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में सेवाओं के प्रावधान में न्यूनतम मानक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय नियामक को मान्यता देने वाले प्राधिकारी से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देते हैं। विनियमन प्रकृति में व्यापक और विषय-क्षेत्र में व्यापक हैं क्योंकि वे दूरस्थ शिक्षा में महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे कि मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थान को मान्यता का मुद्दा, कुछ प्रासंगिक मापदंडों के संबंध में गुणवत्ता मानकों का अनुरक्षण, प्रवेश में पारदर्शिता, परीक्षा प्रक्रियाओं, शिक्षार्थी समर्थन, मूल्यांकन, मान्यता, निरीक्षण और निगरानी और प्रौद्योगिकी का उपयोग है।

हालांकि, इन विनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए न केवल मुक्तऔरदूरस्थशिक्षा संस्थान में कमियों का पता लगाना आवश्यक है, जो गैर-अनुपालन से उत्पन्न हुए हैं, बल्कि प्रणाली के आसपास के वातावरण पर वास्तविकता की जांच के लिए जा रहे हैं, जो वितरित करने के लिए मुक्तऔरदूरस्थशिक्षा संस्थान के साथ शामिल अन्य एजेंसियों की भूमिका की जांच सेवाएं और प्रणाली को मजबूत करने में स्वयं नियामक की भूमिका का मूल्यांकन कर रहे हैं। चूंकि मुक्तऔरदूरस्थशिक्षा प्रणाली की सफलता बाहरी कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि एलएससी स्थापित करने के लिए अपने संस्थानों को किराए पर देने के लिए अन्य संस्थानों के साथ समझौते, शिक्षकों/परामर्शदाताओं/प्रतिपालकों को सभ्य दर पारिश्रमिक के लिए बजटीय प्रावधान, द्विविधा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संघर्षों का समाधान करना और प्रौद्योगिकी प्रदान करने में सरकार का समर्थन, इस तरह के मुद्दों को संबोधित करने वाले छात्रों आदि ने मुक्तऔरदूरस्थशिक्षा संस्थान के लिए निष्पक्ष कार्य सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। मुक्तऔ रदूरस्थ शिक्षा के प्रति जनता की सामान्य मानसिकता को बदलने में यूजीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।

संदर्भ

1. http://aishe.nic.in/aishe/viewDocument.action;jsessionid=C796C8DFD53F33BBFFFF8F51457CA7BA?documentId=227
2. https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/growthDEB.pdf
3. https://ugc.ac.in/oldpdf/regulations/distance%20education%20regulations.pdf
4. https://pdfs.semanticscholar.org/ab0c/6cf4afdc090b8de3969a30ee400b95d52cf2.pdf
5. https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/StatusDEP.pdf
6. https://www.ugc.ac.in/deb/pdf/ODLwhatwhyandhow.pdf
7. https://www.ugc.ac.in/oldpdf/regulations/distance_education.pdf